न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 61 / 2024(GCMS 2024/216)

(आरटीआई नं. 212642941254324)

श्री अभिमन्यु सिंह निवासी 6 सी ब्लॉक, वार्ड नं. 20, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र 28.08.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक दिनांक 28.08.2021 से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना, लोक सूचना अधिकारी से चाही थी:

1. From 1 January 2023 to till time you write your response How many chalans had been cut loudspeakers seized of religious institutions Under the Noise Pollution Act 2000 for contribution in noise pollution in Sri karanpur Police station area. Please provide the certified copy of your response.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2. From 1 January 2023 to till time you write your response How many complains of noise pollution had been received by police station and how many chalans had been cut or loudspeakers seized Under the Noise Pollution Act 2000 for contribution of noise pollution in Sri Karanpur Police station area. Please provide the certified copy of your response.
3. From 1 January 2023 to till the time you write your response. How many organizers or organizations had applied for the use of loudspeakers under the Noise Pollution Act 2000 in Sri karanpur Police station area.

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक विविधि/आर.टी.आई./2025/18 दिनांक 24.03.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अभिमन्यु सिंह द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन अपील आवेदन सं. 212193067170817 के संबंध में सूचना चाही गई है। जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी को क्रमांक 3215007058 दिनांक 28.08.2024 से ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। उपरोक्त पत्र संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध करवाई है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 28.08.2024 को विभाग में प्राप्त हुआ है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए निश्चित समयावधि में प्रत्युत्तर आपको प्रेषित कर दिया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:11 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जवाब के पश्चात् अपीलार्थी ... उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा कोई जानकारी/जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो,यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 व 3 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:11 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर